

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 826/2024

अनवान : -

1. मुकेश कुमार पुत्र ओमवीर जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. हीरा राम पुत्र निराणाराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. अजय कुमार पुत्र गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. कालुराम पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. भूराराम पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. रामेश्वर पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. परमेश्वरी पुत्री ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
6. भालराम पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
7. महेन्द्र पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
8. विद्या देवी पत्नी ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
9. मंजू देवी पुत्री ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
10. शीलो पत्नी गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
11. सुखदेव पुत्र गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
12. घीसाराम पुत्र बस्तीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
13. शीला पत्नी लालचन्द्र जाति बाजीगर निवासी मलवानी तहसील नोहर।
14. सरदाराराम पुत्र जीवणराम जाति बाजीगर निवासी मलवानी तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज


निर्णय

दिनांक: 17/02/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 3 बरानी तहसील नोहर के खाता स0 299/248 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक कल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।


आयुक्त अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 299/248 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 14 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रह तत्पश्चात बहस सुनी गयी। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 299/248 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार हैं, में वादीगण ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। संयुक्त खाते का कोई भी सहखातेदार काश्त की सुविधा को देखते हुए अपने रिकार्ड में धारित रकबे की हद तक अच्छी मंदी भूमि को ध्यान में रखते हुए खाता व लगान अलग करवाने का अधिकारी है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 299/248 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हक हिस्सा के मुताबिक निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 मुकेश कुमार पुत्र ओमवीर, हीराराम पुत्र निराणाराम बहिब जाति मेघवाल साकिन मलवानी खातेदार— प0न0 335/361 मुं0न0 364 किला न0 1/1 की 0.025 हैक्ट, 1/2 की 0.228 हैक्ट, 2/1 की 0.025 हैक्ट, 2/2 की 0.190 हैक्ट, 9/1 की 0.065 हैक्ट, 10/1 की 0.073 हैक्ट कुल रकबा 0.606 हैक्ट, 0.556 हैक्ट बारानी प्रथम, 0.050 हैक्ट गै0मु0 रास्ता
- 2 घीसाराम पुत्र बस्तीराम जाति नायक सा0 मलवानी खातेदार— प0न0 335/361 (364) किला न0 2/3 की 0.038, 3/1 की 0.025 हैक्ट, 3/2 की 0.228 हैक्ट, 4/1 की 0.026 हैक्ट, 4/2 की 0.227 हैक्ट, 5/1 की 0.025 हैक्ट, 5/2 की 0.038 हैक्ट, 5/3 की 0.190 हैक्ट, 9/2 की 0.188 हैक्ट, 12 की 0.253 हैक्ट, 19/1 की 0.198 हैक्ट कुल रकबा 1.436 हैक्ट, 1.322 हैक्ट बारानी प्रथम, 0.114 हैक्ट गै0मु0 रास्ता
- 3 शीला पत्नी लालचन्द, सरदाराराम पुत्र जीवणराम बहिब जाति बाजीगर सा0 मलवानी खातेदार— प0न0 338/359(290) किला न0 11 ता 13 की 0.759 हैक्ट, 18 ता 23 की 1.518 हैक्ट, प0न0 338/360 (335) किला न0 1 की 0.253 हैक्ट कुल रकबा 2.530 हैक्ट
- 4 विधा देवी पत्नी ईशरराम, कालुराम, भुराराम, भालाराम, महेन्द्रसिंह, रामेश्वर पुत्रगण ईशरराम, परमेश्वरी, मंजु देवी पुत्रीया ईशरराम हि0 8/9, शीलो पत्नी गुलाबसिंह, अजय कुमार, सुखदेव पुत्र गुलाबसिंह हि0 1/9 जाति नायक सा0 मलवानी खातेदार—प0न0 334/361(365) किला न0 14 ता 17 की 1.012 हैक्ट, प0न0 335/361(364) किला न0

10/2 की 0.180 हैक्ट, 11 की 0.253 हैक्ट, 19/2 की 0.055 हैक्ट, 20 की 0.253 हैक्ट
कुल रकबा 1.753 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन
आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में
अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी
बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय
नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।
अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 17/6/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 826/2024

अनवान : -

1. मुकेश कुमार पुत्र ओमवीर जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. हीरा राम पुत्र निराणाराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. अजय कुमार पुत्र गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. कालुराम पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. भूराराम पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. रामेश्वर पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. परमेश्वरी पुत्री ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
6. भालराम पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
7. महेन्द्र पुत्र ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
8. विद्या देवी पत्नी ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
9. मंजू देवी पुत्री ईशरराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
10. शीलो पत्नी गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
11. सुखदेव पुत्र गुलाब सिंह जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
12. घीसाराम पुत्र बस्तीराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर।
13. शीला पत्नी लालचन्द्र जाति बाजीगर निवासी मलवानी तहसील नोहर।
14. सरदाराराम पुत्र जीवणराम जाति बाजीगर निवासी मलवानी तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 826 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 299/248 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हक हिस्सा के मुताबिक निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. मुकेश कुमार पुत्र ओमवीर, हीराराम पुत्र निराणाराम बहिब जाति मेघवाल साकिन मलवानी खातेदार- प0न0 335/361 मु0न0 364 किला न0 1/1 की 0.025 हैक्ट, 1/2 की 0.228 हैक्ट, 2/1 की 0.025 हैक्ट, 2/2 की 0.190 हैक्ट, 9/1 की 0.065 हैक्ट, 10/1 की 0.073 हैक्ट कुल रकबा 0.606 हैक्ट, 0.556 हैक्ट बारानी प्रथम, 0.050 हैक्ट गै0मु0 रास्ता
2. घीसाराम पुत्र बस्तीराम जाति नायक सा0 मलवानी खातेदार- प0न0 335/361 (364) किला न0 2/3 की 0.038, 3/1 की 0.025 हैक्ट, 3/2 की 0.228 हैक्ट, 4/1 की 0.026 हैक्ट, 4/2 की 0.227 हैक्ट, 5/1 की 0.025 हैक्ट, 5/2 की 0.038 हैक्ट, 5/3 की 0.190 हैक्ट, 9/2 की 0.188 हैक्ट, 12 की 0.253 हैक्ट, 19/1 की 0.198 हैक्ट कुल रकबा 1.436 हैक्ट, 1.322 हैक्ट बारानी प्रथम, 0.114 हैक्ट गै0मु0 रास्ता


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

- 3 शीला पत्नी लालचन्द, सरदाराराम पुत्र जीवणराम बहिब जाति बाजीगर सा० मलवानी खातेदार— प०न० 338/359(290) किला न० 11 ता 13 की 0.759 हैक्ट, 18 ता 23 की 1.518 हैक्ट, प०न० 338/360 (335) किला न० 1 की 0.253 हैक्ट कुल रकबा 2.530 हैक्ट
- 4 विधा देवी पत्नी ईशरराम, कालुराम, भुराराम, भालाराम, महेन्द्रसिंह, रामेश्वर पुत्रगण ईशरराम, परमेश्वरी, मंजु देवी पुत्रीया ईशरराम हि० 8/9, शीलो पत्नी गुलाबसिंह, अजय कुमार, सुखदेव पुत्र गुलाबसिंह हि० 1/9 जाति नायक सा० मलवानी खातेदार—प०न० 334/361(365) किला न० 14 ता 17 की 1.012 हैक्ट, प०न० 335/361(364) किला न० 10/2 की 0.180 हैक्ट, 11 की 0.253 हैक्ट, 19/2 की 0.055 हैक्ट, 20 की 0.253 हैक्ट कुल रकबा 1.753 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर